

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांक: प.33 (2)गृह-9/2019

जयपुर, दिनांक 09.04.2020

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28.03.2020, जो कोरोना वायरस (Covid-19) से राज्य में लगाये गये लॉकडाउन से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए राज्य वार रूम में नियुक्त अधिकारियों को कार्य आवंटन करने हेतु जारी किया गया था, उसमें सम्भागवार प्रभारी अधिकारियों में निम्न संशोधन किया जाता है :

| क्र.सं. | सम्भाग | अधिकारी का नाम व पद | फोन नम्बर |
|---------|--------|---|------------|
| 03. | जयपुर | श्री अखिल अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग | 9829218500 |

(राजीव स्वरूप)

अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह
एवं अध्यक्ष CMG कोर ग्रुप

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. समस्त सम्बन्धित अधिकारी (समस्त प्रभारीगण)।
6. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
7. जिला कलक्टर, जयपुर।
8. जिला कलक्टर, दौसा।
9. जिला कलक्टर, सीकर।
10. जिला कलक्टर, झुन्झुनू।
11. जिला कलक्टर, अलवर।
12. पुलिस कमिश्नर, जयपुर।
13. पुलिस महानिरीक्षक, जयपुर रेन्ज।
14. पुलिस अधीक्षक, जयपुर।

(पी सी बेरवाल)

विशिष्ट शासन सचिव, गृह